


नीति आयोग महत्वपूर्ण पुनर्गठन

नीति आयोग का महत्वपूर्ण पुनर्गठन कर सरकार ने उसमें 'रणनीतिक नियोजन' के लिए केन्द्रीय मंत्रियों तथा राजग सहयोगियों को शामिल किया है। अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया को गति देने के लिए भारत सरकार ने 'नेशनल इंस्टीट्यूशन फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया' - नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। इसमें 15 केन्द्रीय मंत्रियों तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग के महत्वपूर्ण सहयोगियों को शामिल किया गया है। यह देश के नियोजन एवं विकास में 'रणनीतिक बदलाव' है। इससे सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है कि वह विभिन्न मंत्रालयों की जानकारियों को नीति-निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना चाहती है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालय अनेक विशेषज्ञताओं और दृष्टिकोणों को सामने रखेंगे। इस समग्र दृष्टिकोण का लक्ष्य बहुआयामी राष्ट्रीय चुनावियों से ज्यादा प्रभावशाली ढंग से निपटना है। इस पुनर्गठन में प्रमुख राजग सहयोगियों को भी शामिल किया गया है ताकि राष्ट्र का विकास एजेंडा संचालित करने के सामूहिक प्रयास हो सकें। राजग सहयोगियों को आमंत्रित कर सरकार आयोग के भीतर ज्यादा समावेशी व सहयोगी परिवेश बनाना चाहती है। इसमें शामिल उल्लेखनीय मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इनकी उपस्थिति से देश की आर्थिक, आंतरिक सुरक्षा तथा रक्षा नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रियों के समावेशन से भारत की विकास आवश्यकताओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण की आशा है।



संसद में सांसदों का कर्तव्य

विपक्ष को संसदीय बहसों में शामिल होकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ना चाहिए, पर वे वाकआउट व विरोध प्रदर्शनों से अक्सर अपना समय खराब करते हैं।



साँ सदों को संसद में अपने कर्तव्यों
का पालन करना चाहिए, पर
अक्सर वे ऐसा नहीं करते हैं। विपक्ष को
संसदीय बहसों में शामिल होकर अपने
निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ना चाहिए, पर वे
वाकआउट व विरोध प्रदर्शनों से अक्सर
अपना समय खराब करते हैं। यह समझना चाहिए
कि विधायिका अपने मूल काम पर ज्यादा
ध्यान नहीं दे पाती है। वर्तमान संसदीय
सत्र का बाकी समय विपक्ष के लिए एक
अवसर है कि वह टेलीवीजन के माध्यम
से अपनी प्रतिभा और प्रतिबद्धता प्रकट
करे। सत्तारूढ़ पार्टी या पार्टियों को अपने
विधेयक पास कराने तथा उनको कानून में
बदलने के सिवा विधायिका का और कोई
काम नहीं होता है। यदि कोई कानून न हो
अथवा उनको तत्काल पास कराने की
जरूरत न हो तो सरकार और सत्तारूढ़
पार्टी लगभग पूरे साल बिना विधायिका के
अपना काम चला सकते हैं।



ध्यान न हर्ने दे पाती है। बतमान संसदीयोग्य के लिए एक अवसर है कि वह टेलीवीजन के माध्यम से अपनी प्रतिभा और प्रतिबद्धता प्रकट करे। सत्तारुद्ध पार्टी या पार्टीयों को अपने विधेयक पास कराने तथा उनको कानून में बदलने के सिवा विधायिका का और कोई काम नहीं होता है। यदि कोई कानून न हो अथवा उनको तत्काल पास कराने की जरूरत न हो तो सरकार और सत्तारुद्ध पार्टी लगभग पूरे साल बिना विधायिका के अपना काम चला सकते हैं।

हालांकि, बजट पेश करने और उसे पास कराने की मूल आवश्यकता होती है जिसे केवल विधायिका ही वैध रूप दे सकती है। इसमें लोकसभा की खास भूमिका होती है। ये तथ्य खासकर भारत में राज्य विधानसभाओं की कार्यवाहियों से सामने आते हैं। वे साल में एक बार महत्वपूर्ण विधेयक पास करते हैं और इस दृष्टिकोण से पूरे साल में एक बार बजट पास कराना राज्य विधायिकाओं के कामकाज का प्रमुख अंग होता है। अधिकांश राज्य विधानसभायें औसतन एक बार में तीन या चार दिन बैठकें करती हैं। यदि उनको विधिक आवश्यकतायें पूरी करने के लिए साल में कुछ समय तक बैठकें न करनी हों तो वे शायद यह भी न करें। इसी कारण राज्य विधानसभाओं का प्रत्येक सत्र मुश्किल से तीन या चार दिन का होता है। लेकिन इसके बावजूद राज्य विधानसभाओं के सदस्य विधायिक-एमएलए विधायिक के पूरे कार्यकाल के लिए अपने वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

मोटेटौर से यह बात काफी कुछ संसद पर भी लागू होती है। हालांकि, संसद के तीन सत्र-बजट, मानसून व शीत सत्र होते हैं और ये काफी लंबे समय तक चलते हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि यदि विधायिकाओं के सत्र ज्यादा से ज्यादा समय तक चलें तो विधि-निर्माता संसदों और विधायिकों, खासकर विषयकी दलों के सदस्यों को अपना कौशल, ज्ञान तथा मतदाताओं के साथ अपना जुड़ाव प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से जीवन्त संवाद स्थापित कर सकते हैं। आजकल टेलीवीजन चैनलों पर विधायिकाओं की लगभग पूरी कार्यवाही दिखाई जाती है जिसमें 'संसद टीवी' की प्रमुख भूमिका है। विषयक को इन टेलीवीजन प्रसारणों से बहुत लाभ मिल सकता है। यह उनके लिए अत्यन्त लाभदायक है क्योंकि यह माध्यम मुफ्त है तथा निरंतर उनकी सेवा में लगा रहता है। इसके माध्यम से वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं तथा देश-प्रदेश की जनता से निरंतर संवाद कर सकते हैं। जब मैं संसद में था, उसी समय इस संस्थान-संसद टीवी की शुरुआत हुई थी। उस समय अधिकांश समय अधिकांश मंत्री टेलीवीजन चैनलों का पूरा प्रयोग करते थे। वे यथासंभव अधिकाधिक समय तक बोलते थे ताकि संसद टीवी पर उनका प्रसारण मतदाता देख सकें।

छे: सबाल सामने आते थे जिनके जवाब दिए जाते थे, जबकि इस दौरान अधिकाधिक 20 सबाल शामिल किए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि प्रश्न पूछने वाले संसद अधिकाधिक समय अपने 'पूरक प्रश्नों' पर बोलने के लिए खर्च करते थे जो संसदों का विशेषाधिकार था। आमतौर से विपक्षी पार्टियों की तुलना में सत्तारूढ़ पार्टी या पार्टियों को अपनी बात रखने और संसद टीवी के सामने जनता के पास जाने का ज्यादा अवसर मिलता है। इसके बावजूद विपक्ष आमतौर से अपना ज्यादातर समय सत्र में विचारहीन ढंग से 'वाकआउट' व विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से खराब करता है। विपक्ष के इस हंगामे और अराजकता के कारण अध्यक्ष को मजबूरी में कई घंटे या पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। विपक्ष के इस अनैतिक एवं अनुचित व्यवहार का प्रमाण 2 जुलाई को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अधिभाषण पर अन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया। विडंबना है कि दो घंटे से ज्यादा समय तक विपक्षी सदस्यों के समूह बारी-बारी से शोर मचाते रहे ताकि संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को दबा दिया जाए। वे शायद प्रधानमंत्री को बोलने से रोकना चाहते थे। लेकिन वे शायद यह समझ ही नहीं पाए कि अधिकांश टेलीवीजन चैनल उनकी नरेबाजी और शोर-शारबे को काट कर प्रधानमंत्री मोदी के विकास में दे सकेंगे।

संसद में शोरशारा करने वाले विपक्षी सांसदों को समझना चाहिए कि अंग्रेज दशकों पहले भारत से जा चुके हैं और ऐसे में अब हमारे देश में नकारात्मक गतिविधियों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहब डा. भीमराव अंडेकर ऐसी गैर-कानूनी व असंसदीय गतिविधियों के खिलाफ पहले ही चेतावनी दे चुके थे। सांसदों और विधायकों तथा खासकर विपक्षी दलों के विधि-निर्माताओं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संसद या राज्य विधानसभाओं में उनका निर्वाचन उनको विशेषाधिकार की तुलना में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व अधिक देता है। लेकिन विडंबना है कि अनेक संसद और विधायक संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन के बाद स्वयं को जनता का सेवक मानने के बजाय उसका मालिक तथा 'विशेषाधिकारों' वाला विशिष्ट व्यक्ति मानने लगते हैं।

यह समझ पूरी तरह गलत है। 2 और 3 जुलाई को हमने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जो आचरण देखा, वह लोकतंत्र के इन महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्षी दलों से लेकर मीडिया तथा अकादमिक लोगों को लोकतंत्र पर यह खतरा समझ लेना चाहिए। उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे लोग विदेशों में 'भारत खतरे में है' का राग अलापते रहते हैं। लेकिन संसद में ही इन घटनाओं से क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र को खतरा उसके भीतर से है? यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र को खतरा इसलिए नहीं पैदा होता है कि मतदाताओं ने भारत को 'विकसित अर्थव्यवस्था' वाला देश बनाने तथा भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य हेतु स्थिर सरकार के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। इस तथ्य को किसी प्रकार अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि लगभग 60 साल बाद भारतीय मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीति राजग को लगातार तीसरा कार्यकाल दिया है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां तथा देश में स्वयं को सत्ता का 'अधिकारी' मानने वाले कुछ परिवार पूर्णतः अराजक और अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। वे संसद और उसके कामकाज का संचालन करने वाले नियमों व प्रोटोकालों की धजियां उड़ा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के सामने यहीं असली खतरा है।

यथार्थ रूपीकार करने का महत्व

गई। पड़ोसी एक बार फिर किसान के पास इस दुःसाहस पर हमदर्दी प्रकट करने गए। किसान ने एक बार फिर तटस्थ भाव से जवाब दिया, ‘हो सकता है।’ कुछ दिनों बाद सेना के लोग गांव में नौजवानों को भर्ती करने आए। लेकिन लड़के के पैर में पट्टियां बंधी होने के कारण उसे भर्ती के अयोग्य ठहरा दिया गया। इस पर पड़ोसियों ने बूढ़े किसान को इसके लिए मुबारकवाद दी। किसान ने एक बार फिर जवाब दिया, ‘हो सकता है।’ श्री श्री रविशंकर ने मर्जेदार ढंग से इस कहावत का महत्व बताते हुए अपनी शिक्षाओं में कहा है कि ‘लोगों और स्थितियों को उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए, जैसी वे हैं।’

A sailboat with a white sail and a blue sail is sailing on a calm, blue sea under a clear sky. The boat is positioned in the center-left of the frame, moving towards the left. The water is a deep blue with small ripples. In the background, there are distant hills or mountains under a clear, light blue sky.

निष्क्रियता, तनाव और खतरा शामिल हैं। विकृत व्यवहार अक्सर अलग, अतिवादी तथा असामान्य होता है और इसमें आश्चर्यजनक व्यवहार पैटर्न भी शामिल हैं। इसके बाद परेशान करने वाला व्यवहार सामने आता है। ऐसे लोगों से जुड़े लोग अक्सर दुखी अनुभव करते हैं और उनकी उपस्थिति में असहज रहते हैं। विकृत व्यवहार रोगी को ऐसी स्थिति में ले जा

सकता है जहां वह दिन-प्रतिदिन के काम में बाधा पैदा करने लगे तथा अपने व्यवहार से अनेक गतिविधियों को बाधित करे बेचैनी के पांच प्रकार इस श्रेणी में आते हैं। पहला, सामान्य बेचैनी विकृति है। यह लंबा, अस्पृष्ट व व्याख्या से परे ऐसा भय है जिसका कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं होता है। इसके साथ ही अत्यधिक सक्रियता मस्तिष्क में तनाव का कारण बनती है।

इसके बाद 'क्वोटेडियन पारलेंस' या घबराहट वाली विकृति का स्थान है। लगातार बने रहने और अक्सर आने वाले बेचैनी के हमले अक्सर अन्य मनोवैज्ञानिक लक्षणों के साथ आते हैं जिनमें सांस लेने में कठिनाई, धड़कन बढ़ाना, हाथ पैर कांपने जैसा अनुभव, सुस्ती तथा अपने ऊपर से पूर्ण नियंत्रण खोने की भावना शामिल हैं। अक्सर बार-बार आने वाले भयानक सपनों, पुरानी यादों, ठीक से ध्यान न लगा पाने तथा भावनात्मक कमजोरी का शिकार बनते हैं जो अपरिहार्य रूप से आघात या तनाव का कारण बनी घटनाओं का परिणाम होते हैं। हमारा देश तीन प्रमुख समस्याओं- नशाखोरी, महिलाओं के मुद्दों तथा मनोवैज्ञानिक विकृतियों से पीड़ित है। आपसी तांत्रिकों बाबाओं और

मानसिक विकृतियों में अगला स्थान 'फोबिया' या भय का है। मनुष्य अनेक अतार्किक फोबिया का शिकार हो सकते हैं। इनमें एकोफोबिया यानी ऊँचाई से भय,

इसके बाद रोगी को स्वयंसहयता समूहों से संपर्क करना चाहिए जो इलाज की जारी गवर्नर में समायात करते हैं।¹⁴ आर्ट

उड़ान से भव आद जात ह। इसा स्थानवा में मनुष्य अनेक प्रकार के विचारों से ग्रस्त हो सकता है जो सामान्य रूप से अतार्किक होते हैं।

मानसिक विकृतियों में अंत में 'पोस्ट ट्राईटिक स्ट्रेस डिसआर्ड'-पीटीएसडी आता है, लेकिन यह भी भारी परेशानी का कारण बन सकता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का जारा रखने में सहायता करत ह। आट आफ लिविंग' के 'हैपीनेस कोर्स' में सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है जिससे समुचित तरीके से सांस लेकर शरीर और विचारों के बीच संतुलन स्थापित हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, 'अतीत चाहे जितना कष्टदायक रहा हो, तुम हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हो।'

— 2 —

स्वागत योग्य फैसला

महाराष्ट्र में उथलपुथल

महाराष्ट्र में एनसीपी के अजीत पंवर गुट के चार नेताओं का निकल जाना अजीत गुट का गरीबी में आदा गीला करने जैसा है। महाराष्ट्र की राजनीति के रंग लोकसभा चुनाव के पहले से ही अपना रंग दिखाने लगे थे। शिवसेना के उद्घव और बीजेपी के बीच गठबंधन को जनता ने स्वीकार किया था। उसे तहस-नहस करने के बाद से ही बीजेपी और उद्घवशिवसेना दोनों ही भुगत रहे हैं। इस प्रकार बिल्लियां की लड़ाई में बंदर रोटी खा रहे हैं। अब आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी सीटों के बंटवारे पर घमासान के आसार है। अब तो गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद भी अपने फायदे के लिए पार्टीयां इसे तोड़ने में सारी नैतिकता को ताक में रख देती हैं। इससे मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मगर विडंबना यह है कि वोट देने के बाद मतदाताओं का राल खत्म हो जाता है। ऐसे में मतदाता चुनी हुई सरकारों के सामने अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए गिड़गिड़ाते रहने के सिवाय वह और कुछ नहीं कर सकता। वोट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार नेता चुनाव जीतने के बाद मतदाता को पहचानते तक नहीं हैं। इस प्रकार राजनीतिक पार्टीयों व नेताओं द्वारा मतदाताओं की ठगी समाप्त करने के रास्ते खोजने होंगे।

मैं पास बहुत ज्ञान नहीं हूँ।

अग्निवीरों को अवसर

रियाणा की भाजपा सरकार ने अंटेबल, बनरक्षक व जेल डूँडन की भर्ती के साथ अन्य दों पर पूर्व अग्नि वीरों के लिए प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि कोई अग्निवीर पाना खुद का व्यवसाय शुरू रखा चाहता है तो उसे राज्य सरकार 5 लाख रुपये तक का राज मुक्त कर्ज उपलब्ध राएगी। इसी तरह युप सी और आज के पदों पर आयु सीमा पर अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट दी गयी जो उनके पहले बैच के लिए 5 वर्ष होगी। इसी तरह अग्निवीरों को प्राथमिकता के बाहर पर हथियारों के लाइसेंस दिया जाएगी। इसके अलावा

भी अग्निवीरों के लिए कई रियायतों का ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है। देश की अन्य राज्य सरकारों को भी हरियाणा का अनुसरण करते हुए अग्निवीरों को नौकरियों व रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। भारतीय सैनिकों की तरह अग्निवीर भी सेना से बाहर आने के बाद देश और समाज की सेवा करने, उसमें अनुशासन की भवना भरने तथा अराजक व असामाजिक तत्वों के खिलाफ आदर्श भूमिका निभा सकेंगे। आने वाले दिनों में भारत का हर नागरिक निश्चित रूप से अपने अग्निवीरों पर गर्व करेगा।

हर वर्ष आम बजट से आम जनता को महांगई से राहत, टैक्स में छूट और जीवन की मूलभूत जरूरत की चीजें सस्ती होने की उमीद होती है। लेकिन विडंबना है कि गरीब-उत्थान के नाम पर मध्यम वर्ग को बजट में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। मध्य वर्ग अपनी आमदनी से टैक्स देकर सरकार का खजाना भरता है, पर पिछले दस साल से अनेक वर्दों के बावजूद उसे समुचित राहत नहीं दी गई है। आय कर से कृषि को पूरी तरह छूट दी गई है जबकि आम आदमी को 7 लाख तक की छूट है। भारत में अमीर किसान अनेक प्रकार की सरकारी सुविधाओं व सब्सिडी का लाभ उठाते हैं, पर वे टैक्स नहीं देते हैं। अतः खेती से 10 लाख रुपये से अधिक कमाई वालों पर आयकर लगाया जाना चाहिए। अब खेती कालाधन छिपाने और टैक्स बचाने का माध्यम बनती जा रही है। रेलवे में लोकल डिब्बों व लोकल ट्रेनों की भारी कमी से छोटे कस्बों के लोगों को सार्वजनिक परिवहन की भारी कमी से जूझना पड़ता है। सरकार को अब हर ट्रेन में 50 प्रतिशत सामान्य डिब्बे और लोकल ट्रेनों की संख्या में पर्याप्त संख्या में इंजाफा करने की जरूरत है।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद

